भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3116

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संचारी रोग

†3116. श्री इमरान मसूद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैर-संचारी रोग से होने वाली मौतों की संख्या कितनी है;
(ख) देश में जागरूकता बढ़ाने और पुरानी बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से खर्च अभी भी बहुत अधिक है, देश में सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की वर्ष 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट "इंडिया: हेल्थ ऑफ दि नेशंस स्टेट्स" के अनुसार, भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होने वाली मौतों का अनुपात वर्ष 1990 में 37.9% की तुलना में वर्ष 2016 में बढ़कर 61.8% हो गया है।

(ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए उचित स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के लिए रेफरल और कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है । एनपी-एनसीडी के तहत, 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 372 जिला डे केयर सेंटर, 233 कार्डिक केयर यूनिट और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के भाग के रूप में सामान्य गैर-संचारी रोगों की जांच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इन सामान्य गैर-संचारी रोगों की जांच सेवा प्रदायगी का अभिन्न अंग है।

समुदाय में, एनसीडी के बारे में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कर्मी) जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आशा कर्मी व्यक्तियों और परिवारों को पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक कार्यकलाप और तंबाकू और शराब से परहेज सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व के बारे में शिक्षित करती हैं। आशा कर्मी नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग के माध्यम से शुरुआती पहचान के महत्व पर जोर देती हैं, जिससे घर के दौरे, समूह बैठकों और स्वास्थ्य अभियानों में भागीदारी द्वारा समय पर कार्यकलाप संभव हो पाता है।

इसके अलावा, एनसीडी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने संबंधी पहलों में एनसीडी से संबंधित स्वास्थ्य दिवस मनाना, निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करना शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एनसीडी के लिए जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार प्रदान की जाती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) के "ईट राइट इंडिया मूवमेंट" के माध्यम से "स्वस्थ भोजन" को बढ़ावा दिया जाता है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा "फिट इंडिया मूवमेंट" को क्रियान्वित किया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं।

(ग): केंद्र सरकार ने जनता को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और जेब से होने वाले खर्च को कम करने राज्य के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने जनता को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकारों का सहयोग करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को चलाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहयोग प्रदान करता है। आवश्यक दवाओं और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर जाने वाले रोगियों के जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क दवा सेवा पहल और निःशुल्क निदान सेवा शुरू की गई है।

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में विभिन्न स्तरों पर गैर-संक्रमित बीमारियों का निदान और उपचार किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए इलाज या तो मुफ़्त है या अत्यधिक सब्सिडी वाला है। प्रमुख गैर-संक्रमित बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत भी उपलब्ध है। यह योजना भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से के 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम जेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के नाम से समर्पित आउटलेट स्थापित करने के लिए की गई थी, ताकि किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकें। 21 अक्टूबर, 2024 तक, देश में 14,000 से अधिक पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाओं और 300 सर्जिकल उपकरणों जिनमें हृदयवाहिका रोग रोधी, कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी दवाएँ शामिल हैं, को इस योजना के दायरे में लाया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय इम्प्लांट (अमृत) पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदयवाहिका और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए किफायती दवाएं उपलब्ध कराना है। 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 218 अमृत फार्मेसियाँ हैं, जो 6,500 से अधिक दवाएँ (हृदयवाहिका, कैंसर, मधुमेह, स्टेंट आदि सहित), इम्प्लांट, सर्जिकल डिस्पोजेबल और अन्य उपभोग्य सामग्रियों को बाजार दरों पर 50% तक की महत्वपूर्ण छूट पर बेच रही हैं।

*****